

7.1.10

The Institution has a prescribed code of conduct for students, teachers, administrators and other staff and conducts periodic programmes in this regard.

MULTANIMAL MODI COLLEGE

MODINAGAR GHAZIABAD

CODE OF CONDUCT

The teacher and non-teaching staff assumes an obligation to code of conduct in accordance with the ideal of the profession. A teacher is always under the scrutiny of students, governing body and society. In this accordance the college follows the code of conduct as per UGC 2018 regulation and as per CCS University (further, university) guideline along with following conducts from college.

Teacher and non-teaching staff should:

1. Abide by the acts, statute and ordinance of the university and to respect its ideals, vision, mission, cultural practice and tradition;
2. Co-operate and assist in educational responsibilities of the college and university, such as conducting admission, conducting college and university examinations, invigilation and evaluation, supervision;
3. Participate in extension, co-curricular and extra-curricular activities;
4. Perform duties in the form of teaching, tutorials, practical, seminars and research work;
5. Seek to make professional growth continuously study, research, refresher and orientation course;
6. Respect the right and dignity of student in expressing their opinion;
7. Deal justly and impartially with students regardless of their religion, caste, gender, political, economic, social and physical characteristics;
8. Encourage students to improve their attainments, develop their personalities;
9. Aid students to develop an understanding of our national heritage and national goals;
10. Inculcate among students scientific temper, spirit of enquiry and ideals of democracy, patriotism, social justice, environment protection and peace;

11. Inculcate among students to respects our freedom fighters, great social leaders, to value our national assets and values, national heritage etc.;
12. Refrain from allowing consideration of caste, creed, religion, race or sex in our professional Endeavour;
13. Co-operate in the formulation of policies of the institution by accepting offices and discharge responsibilities which such offices may demand;
14. Co-operate with authorities for the betterment of the institution keeping in view the interest and in conformity with the dignity of the profession;
15. Work to improve education in the community and strengthen the community's moral and intellectual life;
16. Perform the duties of citizenship and participate in community activities for the betterment of nation.

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Conduct and Discipline

1. If a student is found guilty of grave misconduct of breach or discipline or ragging or holding of introduction nights or such other practices adopted to harass other students within or outside the premises of the College or Hostel, the Head of the Department or Proctor may, according to the nature and gravity of the offence, punish him/her as per the provisions laid down in Act and Statutes.
2. The Proctor shall have the power to suspend a student temporarily from the College pending enquiry into his/her conduct in connection with an alleged misconduct. However, before inflicting a punishment on the student an opportunity of personal hearing of explanations of his/her conduct in writing shall be given to him/her.
3. If the Principal feels satisfied that a student of the College has been guilty of grave misconduct, breach of discipline causing harassment to an authority, teacher, student or employee of the College or of causing destruction to College property, he may according to the nature and gravity of the offence, punish him as per provisions laid down in Act and Statutes.

Proctorial Board

The proctorial board consisting of a Proctor and Assistant Proctors assist the Principal in the exercise of his disciplinary authority in respect of students of the college and also exercise such powers and perform such duties in respect of discipline as may be assigned to the proctorial board by the Principal. The proctor issues the Identity Cards to the students of the college campus on the advise of the concerned departments. Application forms for this purpose shall be available in the office of the concerned teaching departments and the students need to complete all formalities and obtain the Identity Cards within 15 days of their admission/readmission to the college.

The College Proctor

There is a College Proctor who shall assist the Principal in the exercise of his disciplinary authority in respect of students of the College and shall also exercise such powers and perform such duties in respect of discipline as may be assigned to him by the Principal. The Proctor shall be assisted by Assistant Proctors.

Issue of Identity Card

Identity card should be obtained by every student of the College from the office of the Proctor after the completion of admission. Application forms for the purpose shall be available in the office of the concerned teaching Department. The students should fill in the form, get it forwarded by the Head of the Department and submit the same to the office of the Proctor with one extra copy of his/her passport size photograph (facing camera) within 15 days of his/her admission.

पाठ्यक्रमों के मामले में शोध हेतु प्रतिदिन कम से कम दो घंटे का समय देंगे जिसके लिए विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा आवश्यक स्थान और अवसंरचना प्रदान की जाएगी। प्रत्यक्ष शिक्षण— ज्ञान अर्जन कार्यभार निम्नानुसार होना चाहिए :

सहायक आचार्य	16 घंटे प्रति सप्ताह
सह- आचार्य और आचार्य	14 घंटे प्रति सप्ताह

15.2 ऐसे आचार्य, जो विस्तार तथा प्रशासनिक कार्यों में शामिल हैं, तथा ऐसे सह—आचार्य और सहायक आचार्य जो सक्रिय रूप से प्रशासनिक कार्यों में जुटे हुए हों उन्हें प्रति सप्ताह कार्यों के लिए शिक्षण और ज्ञान अर्जन में दो घंटे की छूट प्रदान की जा सकती है।

16.0 सेवा करार और वरिष्ठता का निर्धारण करना

16.1 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में भर्ती के समय विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय और संबंधित शिक्षक के बीच एक सेवा करार होना चाहिए और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार/ प्राचार्य के पास जमा की जाएगी। उक्त सेवा करार पर सरकारी प्रयोजनों के अनुसार विधिवत् रूप से स्टॉम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाएगा।

16.2 खंड 6.0 और इसके उपखंडों और उपखंड 6.1 से 6.4 और इसमें अंतर्विष्ट सभी उपखंड तथा परिशिष्ट — II की तालिका 1 से 5 के अनुसार स्व— मूल्यांकन प्रविधियां, पात्रता के अनुसार, सेवा करार/ रिकॉर्ड का भाग होंगी।

16.3 सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और प्रोन्नत किए गए शिक्षकों के बीच परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण

सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और प्रोन्नत किए गए शिक्षकों के बीच परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण कार्यभार संभालने की तिथि से किया जाएगा और सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रोन्नत किए गए शिक्षकों हेतु पात्रता की तिथि से किया जाएगा, जैसे कि संबंधित भर्तियों की चयन समिति की सिफारिशों में दर्शाया गया है। वरिष्ठता के अन्य सभी मामलों के लिए संबंधित केंद्र/ राज्य सरकार के नियम और विनियम लागू होंगे।

17.0 व्यावसायिक आचार संहिता

I. शिक्षक और उनके दायित्व :

जो कोई भी शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाता है उसका दायित्व होता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाए रखे। एक शिक्षक लगातार अपने छात्रों और समाज की समीक्षा के अधीन रहता है। इसलिए, प्रत्येक शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी के बीच कोई भेद नहीं हो। पहले से ही निर्धारित शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्शों और उन्हें छात्रों प्रसार करना एक शिक्षक का स्वयं का आदर्श होना चाहिए। इस व्यवसाय में आगे यह भी आवश्यक है कि शिक्षक शांत, धैर्यवान, मिलनसार और मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हो।

एक शिक्षक को :

- (i) ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जैसा कि समुदाय उनसे आशा करता है;
- (ii) उन्हें अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए जो कि पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप हों;
- (iii) अध्ययन और शोध के माध्यम से लगातार पेशेवर विकास जारी रखने चाहिए;
- (iv) ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पेशेवर बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों इत्यादि में भागीदारी करके मुक्त और मैत्रीपूर्ण विचार व्यक्त करने चाहिए;
- (v) पेशेवर संगठनों में सक्रिय सदस्यता को बनाए रखना चाहिए और उनके माध्यम से शिक्षा और व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए;
- (vi) विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से शिक्षण, अनुशिक्षण, प्रायोगिक ज्ञान, संगोष्ठियों और शोध कार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए;
- (vii) शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं होना और उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए;
- (viii) विश्वविद्यालय के अधिनियम, सांविधि और अध्यादेश का पालन करना चाहिए और विश्वविद्यालय के आदर्शों, विजन, मिशन, सांस्कृतिक पद्धतियों और परंपराओं का आदर करना चाहिए;
- (ix) महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक दायित्वों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना जैसे कि: प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना और उनका मार्गदर्शन और निगरानी करना, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन सहित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित कराने में सहायता करना; और
- (x) सामुदायिक सेवा सहित सह— पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर कार्यकलापों के विस्तार में भागीदारी करना।

II. शिक्षक और छात्र**शिक्षक को :**

- (i) छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए ;
- (ii) छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव व्यवहार करना चाहिए;
- (iii) छात्रों के व्यवहार और क्षमताओं में अंतर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए;
- (iv) छात्रों को उनकी उपलब्धियों में और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और सामुदायिक कल्याण में योगदान देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए;
- (v) छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति, जिज्ञासा का भाव और लोकतंत्र, देश भक्ति, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, और शांति के आदर्श का संचरण करना चाहिए;
- (vi) छात्रों के साथ सम्मान से व्यवहार करना और किसी भी कारण के लिए किसी के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए;
- (vii) गुणों का मूल्यांकन करने में छात्र की केवल उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए;
- (viii) कक्षा के समय के बाद भी छात्रों के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना और बिना किसी लाभ और पुरस्कार के छात्रों की सहायता और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए;
- (ix) छात्रों में हमारी राष्ट्रीय विरासत और राष्ट्रीय उद्देश्यों की समझ विकसित करने में सहायता करना चाहिए;
- (x) अन्य छात्रों, सहपाठियों अथवा प्रशासन के विरुद्ध छात्रों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए।

III. शिक्षक और सहयोगी शिक्षक**शिक्षक को :**

- (i) पेशे से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं के साथ पसंद करेंगे;
- (ii) अन्य शिक्षकों के बारे में आदरपूर्वक बात करना और पेशेवर बेहतरी के लिए सहायता देनी चाहिए;
- (iii) उच्च प्राधिकारियों को सहयोगियों के विरुद्ध बेबुनियादी आरोप लगाने से बचना चाहिए;
- (iv) अपने पेशेवर प्रयासों में जाति, रंग, धर्म, प्रजाति अथवा लिंग संबंधी विचारों को नहीं आने देना चाहिए।

IV. शिक्षक और प्राधिकारी**शिक्षक को :**

- (i) लागू नियमों के अनुसार अपने व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और अपने स्वयं के संस्थागत निकाय और/ अथवा व्यवसायिक संगठनों के माध्यम से पेशे के लिए घातक ऐसे नियम में परिवर्तन के लिए कदम उठाने के लिए पेशे के अनुकूल प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन करना चाहिए जो पेशेवर हित में हों।
- (ii) निजी ट्यूशन और अनुशिक्षण कक्षाओं सहित अन्य कोई रोजगार और प्रतिबद्धता से दूर रहना चाहिए, जिससे उनके पेशेवर उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप होने की संभावना हो;
- (iii) विभिन्न पदों का कार्यभार स्वीकार करके और उक्त पदों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके संस्था की नीति निर्माण में सहयोग करना;
- (iv) अन्य संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में अपने संगठनों के माध्यम से सहयोग करके पदों को स्वीकार करेंगे;
- (v) पेशे की मर्यादा के अनुरूप और हितों के मद्देनजर संस्थाओं की बेहतरी हेतु प्राधिकरणों का सहयोग करना चाहिए;
- (vi) परिशिष्ट की शर्तों का अनुपालन करेंगे;
- (vii) किसी स्थिति में नियोजन में परिवर्तन से पहले उचित नोटिस देंगे और ऐसे नोटिस की अपेक्षा करेंगे;
- (viii) अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त छुट्टियां लेने से बचेंगे और जहां तक संभव हो सके शैक्षणिक सत्र को पूरा करने हेतु अपने विशेष उत्तरदायित्वों के मद्देनजर छुट्टी लेने से पूर्व सूचना प्रदान करेंगे।

शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी**शिक्षकों को चाहिए कि :**

- (i) प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में सहयोग से किए जाने वाले कार्यों में शिक्षणेत्तर स्टाफ को अपना सहकर्मी और समान सहयोगी समझे;
- (ii) शिक्षकों और शिक्षणेत्तर स्टाफ से संबंधित संयुक्त स्टाफ परिषदों के कार्य में सहायता करें।

VI. शिक्षक और अभिभावक**शिक्षकों को चाहिए कि :**

- (i) शिक्षक, निकायों और संगठनों के माध्यम से इस बात पर ध्यान देने का प्रयास करें कि संस्थाएं, अभिभावकों, अपने विद्यार्थियों के साथ संपर्क बनाएं और जब कभी आवश्यक हो, अभिभावकों को उनकी निष्पादन रिपोर्ट भेजें और परस्पर विचारों के आदान-प्रदान और संस्था के लाभ हेतु इस प्रयोजनार्थ आयोजित बैठकों में अभिभावकों से भेंट करें।

VII. शिक्षक और समाज**शिक्षकों को चाहिए कि :**

- (i) इस बात को स्वीकार करें कि शिक्षा एक जन सेवा है और चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास करें;
- (ii) समाज में शिक्षा में सुधार करने और समाज के नैतिक और बौद्धिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करें;
- (iii) सामाजिक समस्याओं से अवगत हों और ऐसी क्रियाकलापों में भाग लें जो समाज की प्रगति और कुल मिलाकर देश की प्रगति में सहायक हों;
- (iv) नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करें, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग ले और सरकारी सेवा के उत्तरदायित्वों में सहायता करें;
- (v) ऐसी क्रियाकलापों में भाग लेने से और सदस्य बनने या किसी भी प्रकार से सहायता करने से बचें जो विभिन्न समुदायों, धर्मों या भाषाई समूहों में नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देती हो, परंतु राष्ट्रीय एकता के लिए सक्रिय होकर कार्य करें।

कुलपति / सम-कुलपति / कुलदेशिक**कुलपति / सम-कुलपति / कुलदेशिक को चाहिए कि :**

- (क) नीति निर्माण, प्रचालन प्रबंधन, मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग और पर्यावरण और धारणीयता के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेरणादायक और प्रेरक मूल्य आधारित अकादमिक और कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करें;
- (ख) पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें और निर्णय लें, जोकि विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में हों;
- (ग) कार्य और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, इष्टतम तथा, प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करें;
- (घ) विश्वविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें, जिससे अभिनव सोच और विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके;
- (ङ) ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गुणवत्ता, व्यावसायिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करें;
- (च) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

महाविद्यालय के प्राचार्य को चाहिए कि;

- (क) नीति निर्माण, प्रचालन प्रबंधन, मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग और पर्यावरण और धारणीयता के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेरणादायक और प्रेरक मूल्य आधारित अकादमिक और कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करें;
- (ख) पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें और निर्णय लें, जोकि विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में हों;
- (ग) कार्य और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, इष्टतम तथा, प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करें;
- (घ) विश्वविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें, जिससे अभिनव सोच और विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके;
- (ङ) ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गुणवत्ता, व्यावसायिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करें;

- (च) आचरण और व्यवहार में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है;
- (छ) पेशे की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करें;
- (ज) शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में संलिप्त न हों और इसे हतोत्साहित करें;
- (झ) समाज सेवा सहित विस्तार, पाठ्यचर्या से जुड़े हुए और पाठ्येतर क्रियाकलापों में भाग लें;
- (ञ) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक (विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय) / पुस्तकाध्यक्ष (विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय) को चाहिए कि वह:

- (क) आचरण और व्यवहार में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है;
- (ख) पेशे की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करें;
- (ग) शिक्षण और अनुसंधान में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में संलिप्त न हों और इसे हतोत्साहित करें;
- (घ) समाज सेवा सहित विस्तार, पाठ्यचर्या से जुड़े हुए और पाठ्येतर क्रियाकलापों में भाग लें;
- (ङ) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

18.0 उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों को बनाए रखना :

उच्चतर शिक्षा में शिक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थानों द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें अपनाई जाएंगी:

- i. इस संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों और उनमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी उपाधि की मूल्यांकन प्रक्रिया समान होगी। विश्वविद्यालय उक्त विनियमों को इनकी अधिसूचना के पश्चात् छह माह के भीतर अंगीकार कर लेंगे।
- ii. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों को पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सेवारत शिक्षकों के लिए पीएचडी सीटों की अधिकता के संबंध में विशेष उपबंध किया जाएगा लेकिन, यदि विभाग में पात्र पर्यवेक्षकों के पास कोई रिक्त सीट उपलब्ध नहीं हो तो यह विभाग में उपलब्ध कुल सीटों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- iii. शोध को बढ़ावा देने के लिए और देश की शोध उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के शिक्षकों को पीएचडी/ एमफिल विद्वानों के पर्यवेक्षण की अनुमति प्रदान करेगा और आवश्यकता आधारित सुविधाएं प्रदान करेगा, तदनुसार विश्वविद्यालय अपनी उपविधियों तथा अध्यादेशों में संशोधन करेंगे।
- iv. इन विनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार सभी नव-नियुक्त संकाय सदस्यों को मूल शोध/ कंप्यूटेशनल सुविधा स्थापित करने के लिए एक बार प्रारम्भिक धन/ स्टार्ट-अप अनुदान/ शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- v. इन विनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि को अनिवार्य अपेक्षा बनाया जाएगा।
- vi. संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समन्वय स्थापित करने के लिए शोध सुविधाओं, मानव संसाधन, कौशल, और अवसरचना को साझा करने के लिए राज्य में विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थाओं के बीच अनुसंधान शोध कलस्टर सृजित किए जाएंगे।
- vii. विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सभी नव-नियुक्त सहायक आचार्यों के लिए आदर्श रूप से उनके शैक्षिक कार्य शुरू करने से पहले एक माह का अनुगम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा लेकिन यह नव-नियुक्त संकाय सदस्य की भर्ती के निश्चित रूप से एक वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केन्द्रों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/ संस्थाएं, अध्यापक और शिक्षण से संबंधित पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) योजना के माध्यम से अपने अधिदेश के अनुरूप उक्त अनुगम कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
- viii. उक्त अनुगम कार्यक्रमों को सीएसएस आवश्यकताओं के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केन्द्रों द्वारा पहले से चलाए जा रहे अभिविन्यास कार्यक्रमों के समतुल्य माना जाएगा। विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थाएं अपने संकाय सदस्यों को चरणबद्ध तरीके से उक्त कार्यक्रमों में भेजेंगे जिससे शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।
- ix. पीएमएमएमएनएमटीटी योजना के अंतर्गत स्कूल ऑफ एजुकेशन (एसओई), टीचिंग लर्निंग सेंटर्स (टीएलसी), फेकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स (एफडीसी), सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस इन साइंस एंड मेथेमेटिक्स (सीईएसएमई), सेंटर्स फॉर अकैडमिक लीडरशिप एंड एजुकेशन मैनेजमेंट (सीएएलईएम) जैसे केन्द्रों द्वारा शिक्षकों/संकाय सदस्यों हेतु आयोजित एक सप्ताह से लेकर एक माह तक के सभी अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के साथ-साथ अध्यापन-संबंधी और विषय-विशिष्ट



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2018/श्रावण 9, 1940

No. 287]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2018/SHRAVANA 9, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2018

मि. सं. 1-18/2010 (सीपीपी-II).—

प्रस्तावना

जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 के अनुसार, उच्च शिक्षा के मानकों को समन्वित एवं सुनिश्चित करने के लिए आदेशाधीन है।

तथा जबकि, किसी छात्र या संकाय या शोधकर्ता या कर्मचारी द्वारा निष्णात तथा शोध स्तर पर डिग्री प्रदान करने हेतु आंशिक रूप से सम्पादित किया गया कार्य, जिसका अकादमिक एवं शोधकार्य का मूल्यांकन किया जा चुका हो, जो शोध-निबन्ध, शोध-प्रबन्ध, शोध पत्रों के प्रकाशन, पुस्तकों में अध्याय, सम्पूर्ण पुस्तकों के रूप में हो तथा कोई अन्य समरूप कार्य, जो अकादमिक, सत्यनिष्ठा एवं मौलिकता के मूल तत्वों को दर्शाये तथा जिसका उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) द्वारा अपनायी गई विभिन्न संबंधित प्रक्रियाओं में अवलोकन किया जाए।

अतः, वि. अ. आ. अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 26 के उप अनुच्छेद (1) के खण्ड (एफ) एवं (जी) के साथ पठित अनुच्छेद 12 के खण्ड (जे) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वि. अ. आ. ने एतद्वारा निम्नलिखित विनियम निर्मित किए हैं:—

1. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग तथा प्रारंभ :

- (ए) इन नियमों को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम 2018 कहा जाएगा।
- (बी) ये विनियम, देश के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों, संकायों, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारियों पर लागू होंगे।
- (सी) ये विनियम, सरकारी राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषा:

इन विनियमों में, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (ए) “अकादमिक सत्यनिष्ठा” से तात्पर्य, किसी क्रियाकलाप को प्रस्तावित करने, निष्पादित करने, सूचित करने एवं बौद्धिक ईमानदारी से है, जिससे बौद्धिक गुणों का सृजन हो सके।
- (बी) “रचनाकार” रचनाकार के अंतर्गत उच्चतर शैक्षिक संस्थान (HEI) के छात्र या संकाय या शोधकर्ता या कर्मचारी आते हैं जो विचाराधीन कार्य के सृजनकर्ता होते हैं।
- (सी) “आयोग” से अभिप्राय वि. अ. आ. से है, जैसा कि वि. अ. आ. अधिनियम, 1956 में यथापरिभाषित है।
- (डी) “सामान्य ज्ञान” से अभिप्राय, सुप्रसिद्ध तथ्य, उद्धरण, आंकड़ा या जानकारी से है जिसकी अधिकांश व्यक्तियों को जानकारी हो।
- (ई) “डिग्री” से अभिप्राय, वि. अ. आ. द्वारा निर्धारित की गई ऐसी डिग्री से है जो कि वि. अ. आ. अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की गई हो।
- (एफ) “विभागीय अकादमिक सत्यनिष्ठा नामसूची” से तात्पर्य होगा विभागीय स्तर पर गठित निकाय, जो साहित्यिक चोरी के आरोपों की जांच पड़ताल करेगा।
- (जी) “संकाय” से तात्पर्य, किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान में नामांकित किसी व्यक्ति से है जो छात्रों को शिक्षण तथा/या मार्गदर्शन प्रदान करता हो, चाहे वह किसी भी क्षमता का हो अर्थात् नियमित, तदर्थ, अतिथि, अस्थायी, मुलाकाती आदि।
- (एच) “उच्चतर शिक्षा संस्थान (HEI)” से अभिप्राय ऐसे वि. वि. से है जो वि. अ. आ. अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(एफ) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त हो या वि. अ. आ. अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत वह संस्थान जो मानित वि. वि. के अंतर्गत आता हो या मान्य महाविद्यालय/संस्थान या किसी वि. वि. की एक संघटक इकाई हो।
- (आई) “सूचना” इसके अंतर्गत आंकड़े, संदेश, पाठ्यवस्तु, आकृतियां, ध्वनि, आवाज, कोड, कम्प्यूटर कार्यक्रम, सॉफ्टवेयर एवं डाटाबेस या माइक्रोफिल्म या कम्प्यूटर सृजित माइक्रोफिश सम्मिलित हैं।
- (जे) “संस्थागत अकादमिक सत्यनिष्ठा नामसूची” से अभिप्राय एक ऐसे निकाय से है जो विभागीय अकादमिक सत्यनिष्ठा नामसूची की सिफारिशों पर विचार करने के लिए तथा साहित्यिक चोरी के आरोपों के बारे में उचित निर्णय लेने तथा दण्ड लागू करने संबंधी निर्णय लेने के लिए संस्थागत स्तर पर गठित किया गया हो। अपवादिक मामलों में यह न्यास संस्थागत स्तर पर साहित्यिक चोरी के आरोपों की जांच करेगा।
- (के) “अधिसूचना” से तात्पर्य, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है तथा अधिसूचित करने की अभिव्यक्ति का उसके समानार्थी तथा व्याकरणीय भिन्नता के अनुरूप अनुमान लगाया जाएगा।
- (एल) “साहित्यिक चोरी” से अभिप्राय किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य या विचार को निज प्रयोग में लेना तथा अपने नाम से दूसरे को देना।
- (एम) “पाठ्यक्रम” से तात्पर्य, अध्ययन किया जाने वाला वह पाठ्यक्रम जिसके लिए निष्णात एवं शोध स्तर पर डिग्री प्रदान की जाए।
- (एन) “शोधकर्ता” से तात्पर्य है उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में अकादमिक/वैज्ञानिक शोध करने वाला व्यक्ति।
- (ओ) “पाण्डुलिपि” के अंतर्गत शोध-लेख, शोध-निबन्ध, शोध-पत्र, पुस्तकों में अध्याय, सम्पूर्ण पुस्तकें तथा अन्य समान कार्य का मूल्यांकन/अभिमत हेतु जमा किया जाने वाला कार्य जो उच्चतर शिक्षा संस्थान के छात्रों या संकाय या शोधकर्ता या कर्मचारी द्वारा निष्णात एवं शोधस्तर की डिग्रियों को प्राप्त करने या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन हेतु तैयार किया जाए। तथापि, इसमें नियत कार्य/आवधिक पत्र/परियोजना रिपोर्ट/पाठ्यक्रम संबंधी कार्य/निबन्ध तथा उत्तर पुस्तिकाएं शामिल नहीं होंगी।
- (पी) “स्रोत” से अभिप्राय, किसी भी स्रोत से किसी भी रूप में प्राप्त की गई प्रकाशित मुख्य एवं गौण अध्ययन सामग्री से है, जिसमें लिखित जानकारी तथा अन्य व्यक्तियों अर्थात् विख्यात विद्वानों, लोकप्रिय हस्तियों, किसी भी प्रकार के पेशेवर व्यक्तियों से प्रत्यक्षतः प्राप्त किये गए दृष्टिकोण को शामिल किया गया हो। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक रूप में आंकड़े एवं सूचना यथा श्रव्य, दृश्य, आकृति या पाठ्यक्रम के रूप में, जिसकी सूचना समान अर्थ में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुच्छेद 2(1)(V) के अंतर्गत वर्णित है तथा जिसको यहां विनियम 2(1) में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

- (क्यू) "कर्मचारी" से तात्पर्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में कार्यरत् गैर-शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग से है, जो किसी भी क्षमता अर्थात् नियमित, अस्थायी, अनुबन्धात्मक, बाह्य स्रोत आदि में कार्यरत् हों।
- (आर) "छात्र" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसका विधिवत दाखिला हुआ हो, पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो, जिसमें किसी भी पद्धति (पूर्णकालिक या अंशकालिक या दूरस्थ माध्यम) से अध्ययन करने वाले शोध पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है।
- (एस) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय उन विश्वविद्यालयों से है, जो केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित अथवा निगमित हैं तथा उनमें वह मानित वि. वि. संस्थान सम्मिलित हैं जो यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद (3) के अंतर्गत आते हैं।
- (टी) "वर्ष" से तात्पर्य वह अकादमिक सत्र है, जिसमें प्रमाणित अपराध किया गया हो।
 ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियां, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 में परिभाषित हैं तथा इन विनियमों के साथ सुसंगत नहीं हैं उनका इस अधिनियम में निर्दिष्ट तदनु रूप अर्थ लगाया जाएगा।

3. उद्देश्य:

- 3.1 शोध, शोध-पत्र, शोध-निबन्ध के दायित्वपूर्ण आचरण, अकादमिक सत्यनिष्ठा के प्रोत्साहन के प्रति जागरूकता पैदा करना, छात्र संकाय, शोधकर्ता एवं कर्मचारी वर्ग में अकादमिक लेखन में साहित्यिक चोरी सहित कदाचार से बचाव करना।
- 3.2 शिक्षण एवं प्रशिक्षण के जरिये, संस्थानात्मक तंत्र स्थापित करना, जिससे शोध, शोध-पत्र शोधनिबन्ध, अकादमिक सत्यनिष्ठा तथा साहित्यिक चोरी के निवारण में प्रोन्नति सहज हो सके।
- 3.3 साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए पद्धतियां विकसित करना तथा साहित्यिक चोरी से बचाव के लिए रचना-तंत्र की स्थापना करना तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान के छात्र, संकाय, शोधकर्ता या कर्मचारी को साहित्यिक चोरी का कृत्य करने पर दण्डित करना।

4. उच्चतर शिक्षा संस्थान के दायित्व :

प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान को एक ऐसे तंत्र की स्थापना करनी चाहिए जैसा कि इन विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि शोध एवं अकादमिक कार्यकलापों के दायित्वपूर्ण आचरण के प्रति जागरूकता लाने में संवर्धन करे, साथ ही अकादमिक सत्यनिष्ठा को प्रोन्नत करे तथा साहित्यिक चोरी से बचाव करे।

5. जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण :

(क) उच्चतर शिक्षा संस्थान, अपने छात्रों, संकायों, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारियों को उचित आरोपण के संबंध में अनुदेश देगा, जहां कहीं भी आवश्यक हो, लेखक से स्वीकृति की मांग करेगा, आवश्यकतानुसार उन सुसंगत तथा अनुमतिनिर्दिष्ट अनुशासनों के स्रोत की जानकारी प्राप्त करेगा तथा जो नियमों के अनुरूप, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा स्रोत को नियंत्रित करने वाले विनियमों से संबंधित होंगे।

(ख) उच्चतर शिक्षा संस्थान, प्रत्येक सत्र में सम्मेलन/जागरूकता कार्यक्रमों का सुग्राही संचालन करेगा, जो शोध, शोध-पत्र, शोध-निबन्ध के दायित्वपूर्ण आचरण तथा अकादमिक सत्यनिष्ठा की प्रोन्नति तथा छात्रों, संकायों, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारियों के लिए शिक्षा में नैतिकता को बढ़ावा देगा।

(ग) उच्चतर शिक्षा संस्थान, निम्नलिखित कार्यों पर जोर देगा :

- i. एक अनिवार्य पाठ्यक्रम कार्यविधि/माड्यूल के रूप में स्नातकपूर्व (यूजी)/स्नातकोत्तर (पीजी)/निष्णात डिग्री की पाठ्यवस्तु में अकादमिक सत्यनिष्ठा के आधारभूत सिद्धांतों को सम्मिलित करना।
- ii. निष्णात एवं शोधविशेषज्ञों के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम कार्यविधि/माड्यूल के रूप में शोध एवं प्रकाशन के दायित्वपूर्ण आचरण संबंधी मूल तत्वों को सम्मिलित करना।
- iii. उच्चतर शिक्षा संस्थान के संकाय एवं कर्मचारी सदस्यों हेतु अभिमुखी एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को आयोजित करना, शोध एवं प्रकाशन के आधारभूत दायित्वपूर्ण आचरण के तथ्यों को शामिल करना।
- iv. छात्र, संकाय, शोधकर्ता एवं कर्मचारियों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले उपकरणों/साधनों तथा संदर्भप्रबन्धन उपकरणों को प्रयुक्त करने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- v. साहित्यिक चोरी का पता लगाने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकियों सहित सुविधा उपकरणों की स्थापना करना।

- vi. अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की पंजीकरण पद्धतियों पर छात्र, संकाय शोधकर्ता एवं कर्मचारी सदस्य के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना।

6. साहित्यिक चोरी पर रोकथाम :

- (ए) उच्चतर शिक्षा संस्थान, उपयुक्त सॉफ्टवेयर प्रयुक्त करते हुए प्रौद्योगिकी आधारित रचनातंत्र की घोषणा एवं कार्यान्वयन करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शोध-पत्र, शोध-निबन्ध, प्रकाशन या कोई अन्य दस्तावेज उसकी प्रस्तुति के समय साहित्यिक चोरी से मुक्त हैं।
- (बी) ऊपर (ए) में वर्णित रचनातंत्र, शोधकार्य में संलिप्त सभी छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें छात्र, संकाय शोधकर्ता एवं कर्मचारी सदस्य आदि भी सम्मिलित होंगे।
- (सी) प्रत्येक छात्र, जो शोध-पत्र, शोध-निबन्ध या समान दस्तावेज, उच्चतर शिक्षा संस्थान को प्रस्तुत करने जा रहा है, वह एक ऐसा वचन-बंध प्रस्तुत करेगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि प्रस्तुत दस्तावेज उसके द्वारा तैयार किया गया है तथा यह दस्तावेज उसका मौलिक लेखन कार्य है तथा किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी से मुक्त है।
- (डी) इस वचन-बंध में यह तथ्य भी शामिल किया जाएगा कि इस दस्तावेज की उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले उपकरणों के जरिये विधिवत जाँच कर ली गई है।
- (ई) संस्थान, साहित्यिक चोरी के संबंध में एक ऐसी संबंधित नीति का विकास करेगा तथा इससे संबंधित विधायी निकायों/प्राधिकरणों से उसे स्वीकृत कराएगा। स्वीकृत नीति को HEI वेबसाइट के होमपेज पर डाउनलोड किया जाएगा।
- (एफ) प्रत्येक पर्यवेक्षक, एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि शोधकर्ता द्वारा किया गया अमुक कार्य, शोधकर्ता के द्वारा तथा मेरे अधीन रहकर किया गया है तथा यह साहित्यिक चोरी से मुक्त है।
- (जी) संस्थान, सभी निष्णात, शोध पाठ्यक्रम के शोध-पत्रों तथा शोध-निबन्धों को, डिग्री प्रदान किए जाने के पश्चात् 1 माह के भीतर 'शोध गंगा ई-रिपोजिटरी' के अंतर्गत डिजिटल रिपोजिटरी को पोषित करने हेतु इनफलीबनेट पर इसकी सॉफ्ट प्रतियां प्रस्तुत करेगा।
- (एच) संस्थान, संस्थानात्मक रिपोजिटरी का संस्थान की वेबसाइट पर सृजन करेगा जिसमें शोध-निबन्ध/शोध-पत्र/पत्र-आलेख/प्रकाशन तथा अन्य आंतरिक (इन-हाउस) प्रकाशनों को भी सम्मिलित करेगा।

7. साहित्यिक चोरी के बहिष्करण हेतु समरूपता रोकथाम :

साहित्यिक चोरी के लिए समानता जांच में निम्नवत वर्जित होंगे :

- सभी अनिवार्य अनुमतियों और/अथवा गुणधर्म के साथ उद्धृत कार्य।
- सभी सदर्थ, पुस्तकसूची, विषयवस्तु की तालिका, आमुख तथा साभार।
- सभी सामान्य शब्दावली, विधि, मानक, चिहन् तथा मानक समीकरण।

नोट:

छात्रों, संकाय, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारिवृंदों द्वारा किया गया शोधकार्य, मूल विचार पर आधारित होगा, जिसमें केवल संक्षेपण, सारांश, अवधारणा, टिप्पणियां, परिणाम, निष्कर्ष तथा सिफारिशें शामिल होंगी तथा इसमें कोई समानताएं नहीं होंगी। इसमें चौदह (14) क्रमगत शब्दों तक सामान्य ज्ञान अथवा अनुरूप शब्दावली विवर्जित होगी।

8. साहित्यिक चोरी के स्तर :

साहित्यिक चोरी को परिभाषित करने के प्रयोजनार्थ उसकी गंभीरता के बढ़ते क्रम में साहित्यिक चोरी को निम्नवत स्तरों में मापा जाएगा:

- स्तर शून्य : दस प्रतिशत तक समानता— थोड़ी बहुत समानताएं, कोई दण्ड नहीं।
- प्रथम स्तर : दस प्रतिशत से चालीस प्रतिशत तक समानताएं।
- द्वितीय स्तर : चालीस प्रतिशत से साठ प्रतिशत तक समानताएं।
- तृतीय स्तर : साठ प्रतिशत से अधिक समानताएं।

9. साहित्यिक चोरी का पता लगाना/जानकारी प्रदान करना/कार्यवाही करना :

यदि शैक्षिक समुदाय का कोई सदस्य उपर्युक्त प्रमाण के साथ संदेह व्यक्त करता है कि किसी दस्तावेज में साहित्यिक चोरी का कोई प्रकरण बनता है, वह इस मामले की जानकारी विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा पेनल (डीएआईपी) को देगा। डीएआईपी, ऐसी शिकायत अथवा आरोप की प्राप्ति पर मामले की जांच करेगा तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान की संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा नामसूची (आईएआईपी) को अपनी सिफारिशों सौंपेगा।

उच्चतर शिक्षा संस्थान के प्राधिकारी साहित्यिक चोरी के कृत्य का स्वयंमेव संज्ञान भी ले सकते हैं और इन विनियमों के तहत कार्यवाहियां कर सकते हैं। इसी प्रकार, परीक्षक के निष्कर्षों के आधार पर भी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। ऐसे सभी मामलों की आईएआईपी द्वारा जांच की जाएगी।

10. विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा नामसूची (डीएआईपी) :

- i. उच्चतर शिक्षा संस्थान के सभी विभाग एक डीएआईपी को अधिसूचित करेंगे जिसकी संरचना नीचे दी गई है:
 - क. अध्यक्ष-विभागाध्यक्ष
 - ख. सदस्य-विभाग से इतर एक वरिष्ठ शिक्षाविद्, जिसे उच्चतर शिक्षा संस्थान के प्रमुख द्वारा नामित किया जाएगा।
 - ग. सदस्य-साहित्यिक चोरी के साधनों से भली-भांति परिचित एक व्यक्ति, जिसे विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

बिंदु 'ख' तथा 'ग' के संबंध में सदस्यगणों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। बैठक के लिए सदस्यों की गणपूर्ति 3 में से 2 सदस्यों द्वारा होगी (सभापति सहित)।
- ii. डीएआईपी, छात्रों, संकाय, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारिवृंदों के विरुद्ध साहित्यिक चोरी के आरोपों के संबंध में निर्णय देते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।
- iii. डीएआईपी, को साहित्यिक चोरी के स्तरों का मूल्यांकन करने तथा तदनुसार, दण्ड की सिफारिश करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।
- iv. शिकायत प्राप्त होने/ कार्यवाहियां आरंभ किए जाने की तिथि से 45 दिनों के भीतर डीएआईपी, जांच उपरांत, अपनी रिपोर्ट सहित लगाए जाने वाले दण्डों पर अपनी सिफारिशों को आईएआईपी को प्रस्तुत करेगी।

11. संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पेनल (आईएआईपी) :

- i. उच्चतर शिक्षा संस्थान, आईएआईपी को अधिसूचित करेंगे जिसकी संरचना नीचे दी गई है :
 - क. अध्यक्ष-उच्चतर शिक्षा संस्थान का सम-कुलपति/संकाय अध्यक्ष/वरिष्ठ शिक्षाविद्।
 - ख. सदस्य-उच्चतर शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष द्वारा नामित एक वरिष्ठ शिक्षाविद्।
 - ग. सदस्य-उच्चतर शिक्षा संस्थान से इतर किसी अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा नामित किया जाने वाला एक सदस्यगण।
 - घ. सदस्य-साहित्यिक चोरी के साधनों से भली-भांति परिचित एक व्यक्ति, जिसे विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

एक ही व्यक्ति, डीएआईपी और आईएआईपी का अध्यक्ष नहीं होगा। अध्यक्ष सहित समिति के सदस्यगणों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। बैठक के लिए सदस्यों की गणपूर्ति 3 में से 2 सदस्यों (सभापति सहित) द्वारा होगी।

- ii. आईएआईपी, डीएआईपी की सिफारिशों पर विचार करेगा।
- iii. आईएआईपी, इन विनियमों में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार साहित्यिक चोरी के मामलों की जांच भी करेगा।
- iv. आईएआईपी, उच्चतर शिक्षा संस्थान के छात्रों, संकाय, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारिवृंदों के विरुद्ध साहित्यिक चोरी के आरोपों के संबंध में निर्णय देते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।
- v. आईएआईपी को विधिवत् औचित्य के साथ दण्ड सहित डीएआईपी की सिफारिशों की समीक्षा करने की भी शक्तियां प्राप्त होंगी।
- vi. आईएआईपी जांच उपरांत रिपोर्ट तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रमुख द्वारा लगाए जाने वाले दण्ड संबंधी सिफारिशों को डीएआईपी द्वारा शिकायत प्राप्त होने/ कार्यवाहियां आरंभ किए जाने की तिथि से 45 दिनों के भीतर भेजेगा।
- vii. आईएआईपी उस व्यक्ति(यों) को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएगा जिसके विरुद्ध जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

12. दण्ड :

साहित्यिक चोरी के मामले में निष्णात तथा शोध कार्यक्रमों के स्तर पर उच्चतर शिक्षा संस्थान में अध्ययनरत छात्रों तथा उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के शोधकर्ताओं, संकाय तथा कर्मचारिवृंदों पर केवल उस स्थिति में ही दण्ड लगाया जाएगा जब बिना किसी संदेह के किसी व्यक्ति विशेष द्वारा शैक्षिक कदाचार किए जाने की पुष्टि हो जाती है और जब अपील के सभी विकल्पों को पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है और जब अमुक व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए स्पष्ट अथवा पारदर्शी पद्धति से पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया हो।

12.1 शोध-प्रबंध (थीसीस) तथा शोध-निबंध (डिसरटेशन) को प्रस्तुत करने के मामले में साहित्यिक चोरी :

संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा नामसूची (आईएआईपी) साहित्यिक चोरी की गंभीरता पर विचार कर दण्ड आरोपित करेगा :

- i. **स्तर शून्य : दस प्रतिशत तक समानताएं—** थोड़ी बहुत समानताएं, कोई दण्ड नहीं।
- ii. **प्रथम स्तर : दस प्रतिशत से चालीस प्रतिशत तक समानताएं—** ऐसे छात्रों को अधिकतम छह माह की विनिर्धारित अवधि के भीतर संशोधित आलेख जमा करने को कहा जाएगा।
- iii. **द्वितीय स्तर : चालीस प्रतिशत से साठ प्रतिशत तक समानताएं—** ऐसे छात्रों को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए संशोधित आलेख जमा करने से वंचित किया जाएगा।
- iv. **तृतीय स्तर : साठ प्रतिशत से अधिक समानताएं—** ऐसे छात्रों के उस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा।

नोट 1: बार-बार साहित्यिक चोरी करने पर दण्ड : प्रत्येक छात्र को साहित्यिक चोरी के लिए दण्डित किया जाएगा यदि उसके द्वारा की गई साहित्यिक चोरी पिछली बार की गई साहित्यिक चोरी से एक स्तर अधिक हो। यदि सर्वोच्च स्तर की साहित्यिक चोरी की गई हो तो उसे कारगर दंड दिया जाएगा।

नोट 2: उस स्थिति में साहित्यिक चोरी जब उपाधि/क्रेडिट पहले ही प्राप्त किया गया हो— यदि उपाधि/क्रेडिट किए जाने, जैसा भी मामला हो, प्रदान किए जाने की तिथि के बाद में साहित्यिक चोरी सिद्ध हो तो उसकी उपाधि/क्रेडिट को आईएआईपी द्वारा संस्तुत अवधि के लिए आस्थगित रखा जाएगा तथा संस्थान के प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

12.2 शैक्षिक तथा शोध प्रकाशनों में साहित्यिक चोरी के मामले में दण्ड :

- I. **स्तर शून्य : दस प्रतिशत तक समानताएं—** थोड़ी बहुत समानताएं, कोई दण्ड नहीं।
- II. **प्रथम स्तर : दस प्रतिशत से चालीस प्रतिशत तक समानताएं—**
 - i. ऐसे छात्रों को, पांडुलिपि वापस लेने को कहा जाएगा।
- III. **द्वितीय स्तर : चालीस प्रतिशत से साठ प्रतिशत तक समानताएं—**
 - i. उन्हें पांडुलिपि वापस लेने को कहा जाएगा।
 - ii. उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकार से वंचित किया जाएगा।
 - iii. उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए किसी नई निष्णात, एम.फिल., पीएच.डी. छात्र/ विद्वान का पर्यवेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- IV. **तृतीय स्तर : साठ प्रतिशत से अधिक समानताएं—**
 - i. उन्हें पांडुलिपि वापस लेने को कहा जाएगा।
 - ii. उन्हें लगातार दो वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकार से वंचित किया जाएगा।
 - iii. उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी नए निष्णात, एम.फिल., पीएच.डी. छात्र/ विद्वान का पर्यवेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नोट 1: बार-बार साहित्यिक चोरी करने पर दण्ड : उन्हें पांडुलिपि वापस लेने को कहा जाएगा और उन्हें की गई साहित्यिक चोरी के निम्न स्तर से एक स्तर ऊपर की साहित्यिक चोरी के लिए दण्डित किया जाएगा। यदि की गई साहित्यिक चोरी सर्वोच्च स्तर की हो तो उसके लिए विहित दंड लागू होगा। यदि तृतीय स्तर के दोष की पुनरावृत्ति की गई हो तो उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा सेवा नियमों के अनुसार निलंबन/सेवा समाप्ति सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नोट 2: उस स्थिति में दण्ड, जब साहित्यिक चोरी का लाभ अथवा क्रेडिट पहले ही प्राप्त किया गया हो— यदि लाभ अथवा क्रेडिट प्राप्त किए जाने, जैसा भी मामला हो, की तिथि के बाद साहित्यिक चोरी सिद्ध हो तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ अथवा क्रेडिट को आईएआईपी द्वारा संस्तुत अवधि के लिए आस्थगित रखा जाएगा तथा संस्थान के प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

नोट 3 : उच्चतर शिक्षा संस्थान ऐसा तंत्र विकसित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्र, संकाय, शोधकर्ता अथवा कर्मचारिवृंद द्वारा प्रकाशित किए गए प्रत्येक पत्र/शोध-प्रबंध (थीसीस) तथा शोध-निबंध (डिसरटेशन) को अग्रेषित/ प्रस्तुत किए जाने के समय साहित्यिक चोरी के लिए जांचा जाए।

नोट 4 : यदि उच्चतर शिक्षा संस्थान के प्रधान के विरुद्ध साहित्यिक चोरी की कोई शिकायत हो तो, इन विनियमों के अनुरूप उच्चतर शिक्षा संस्थान के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई की जाएगी।

नोट 5 : यदि संस्थागत स्तर पर विभागाध्यक्ष/प्राधिकारियों के विरुद्ध साहित्यिक चोरी की कोई शिकायत हो तो, इन विनियमों के अनुरूप आईएआईपी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

नोट 6 : यदि डीएआईपी अथवा आईएआईपी के किसी सदस्यगण के विरुद्ध साहित्यिक चोरी की कोई शिकायत हो तो, ऐसा सदस्य ऐसी बैठकों में भाग नहीं लेगा जहां उसके मामले के संबंध में चर्चा की जा रही हो/अथवा जांच की जा रही हो।

13. कठिनाइयों का निवारण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन विनियमों के कार्यान्वयन के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयों को भारत सरकार/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से निवारण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./161/18]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (PROMOTION OF ACADEMIC INTEGRITY AND PREVENTION OF PLAGIARISM IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS) REGULATIONS, 2018

New Delhi, the 23rd July, 2018

F. 1-18/2010(CPP-II).—

Preamble

Whereas, University Grants Commission (UGC), as per UGC Act, 1956, is mandated to coordinate and determine the standards of higher education;

And whereas, assessment of academic and research work done leading to the partial fulfillment for the award of degrees at Masters and Research level, by a student or a faculty or a researcher or a staff, in the form of thesis, dissertation and publication of research papers, chapters in books, full-fledged books and any other similar work, reflects the extent to which elements of academic integrity and originality are observed in various relevant processes adopted by Higher Educational Institutions (HEIs);

Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (j) of Section 12 read with clauses (f) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following regulations:-

1. Short title, application and commencement –

- These regulations shall be called the University Grants Commission (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 2018.
- They shall apply to the students, faculty, researchers and staff of all Higher Educational Institutions in the country.
- These regulations shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette.

2. Definitions -

In these regulations, unless the context otherwise requires—

- a. “Academic Integrity” is the intellectual honesty in proposing, performing and reporting any activity, which leads to the creation of intellectual property;
- b. “Author” includes a student or a faculty or a researcher or staff of Higher Educational Institution (HEI) who claims to be the creator of the work under consideration;
- c. “Commission” means the University Grants Commission as defined in the University Grants Commission Act, 1956;
- d. “Common Knowledge” means a well known fact, quote, figure or information that is known to most of the people;
- e. “Degree” means any such degree specified by the University Grants Commission, by notification in the Official Gazette, under section 22 of the University Grants Commission Act, 1956;
- f. “Departmental Academic Integrity Panel” shall mean the body constituted at the departmental level to investigate allegations of plagiarism;
- g. “Faculty” refers to a person who is teaching and/or guiding students enrolled in an HEI in any capacity whatsoever i.e. regular, ad-hoc, guest, temporary, visiting etc;
- h. “Higher Educational Institution (HEI)” means a university recognized under section 2(f) of the UGC Act, 1956 or an institution deemed to be university under section 3 of the UGC Act, 1956 or an affiliating college / institution or a constituent unit of a university;
- i. “Information” includes data, message, text, images, sound, voice, codes, computer programs, software and databases or microfilm or computer generated microfiche;
- j. “Institutional Academic Integrity Panel” shall mean the body constituted at Institutional level to consider recommendations of the departmental academic integrity panel and take appropriate decisions in respect of allegations of plagiarism and decide on penalties to be imposed. In exceptional cases, it shall investigate allegations of plagiarism at the institutional level;
- k. “Notification” means a notification published in the Official Gazette and the expression “notify” with its cognate meanings and grammatical variation shall be construed accordingly;
- l. “Plagiarism” means the practice of taking someone else’s work or idea and passing them as one’s own.
- m. “Programme” means a programme of study leading to the award of a masters and research level degree;
- n. “Researcher” refers to a person conducting academic / scientific research in HEIs;
- o. “Script” includes research paper, thesis, dissertation, chapters in books, full-fledged books and any other similar work, submitted for assessment / opinion leading to the award of master and research level degrees or publication in print or electronic media by students or faculty or researcher or staff of an HEI; however, this shall exclude assignments / term papers / project reports / course work / essays and answer scripts etc.;
- p. “Source” means the published primary and secondary material from any source whatsoever and includes written information and opinions gained directly from other people, including eminent scholars, public figures and practitioners in any form whatsoever as also data and information in the electronic form be it audio, video, image or text; Information being given the same meaning as defined under Section 2 (1) (v) of the Information Technology Act, 2000 and reproduced here in Regulation 2 (1);
- q. “Staff” refers to all non-teaching staff working in HEIs in any capacity whatsoever i.e. regular, temporary, contractual, outsourced etc.;
- r. “Student” means a person duly admitted and pursuing a programme of study including a research programme in any mode of study (full time or part-time or distance mode);
- s. “University” means a university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, and includes an institution deemed to be university under section 3 of the UGC Act, 1956;
- t. “Year” means the academic session in which a proven offence has been committed.

Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the University Grants Commission Act, 1956 shall have the meanings respectively assigned to them in UGC Act, 1956.

3. Objectives

- 3.1 To create awareness about responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity and prevention of misconduct including plagiarism in academic writing among student, faculty, researcher and staff.
- 3.2 To establish institutional mechanism through education and training to facilitate responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity and deterrence from plagiarism.
- 3.3 To develop systems to detect plagiarism and to set up mechanisms to prevent plagiarism and punish a student, faculty, researcher or staff of HEI committing the act of plagiarism.

4. Duties of HEI:

Every HEI should establish the mechanism as prescribed in these regulations, to enhance awareness about responsible conduct of research and academic activities, to promote academic integrity and to prevent plagiarism.

5. Awareness Programs and Trainings:

- (a) HEI shall instruct students, faculty, researcher and staff about proper attribution, seeking permission of the author wherever necessary, acknowledgement of source compatible with the needs and specificities of disciplines and in accordance with rules, international conventions and regulations governing the source.
- (b) HEI shall conduct sensitization seminars/ awareness programs every semester on responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity and ethics in education for students, faculty, researcher and staff.
- (c) HEI shall :
 - i. Include the cardinal principles of academic integrity in the curricula of Undergraduate (UG)/Postgraduate (PG)/Master's degree etc. as a compulsory course work/module.
 - ii. Include elements of responsible conduct of research and publication ethics as a compulsory course work/module for Masters and Research Scholars.
 - iii. Include elements of responsible conduct of research and publication ethics in Orientation and Refresher Courses organized for faculty and staff members of the HEI.
 - iv. Train student, faculty, researcher and staff for using plagiarism detection tools and reference management tools.
 - v. Establish facility equipped with modern technologies for detection of plagiarism.
 - vi. Encourage student, faculty, researcher and staff to register on international researcher's Registry systems.

6. Curbing Plagiarism

- a) HEI shall declare and implement the technology based mechanism using appropriate software so as to ensure that documents such as thesis, dissertation, publications or any other such documents are free of plagiarism at the time of their submission.
- b) The mechanism as defined at (a) above shall be made accessible to all engaged in research work including student, faculty, researcher and staff etc.
- c) Every student submitting a thesis, dissertation, or any other such documents to the HEI shall submit an undertaking indicating that the document has been prepared by him or her and that the document is his/her original work and free of any plagiarism.
- d) The undertaking shall include the fact that the document has been duly checked through a Plagiarism detection tool approved by the HEI.
- e) HEI shall develop a policy on plagiarism and get it approved by its relevant statutory bodies/authorities. The approved policy shall be placed on the homepage of the HEI website.
- f) Each supervisor shall submit a certificate indicating that the work done by the researcher under him / her is plagiarism free.
- g) HEI shall submit to INFLIBNET soft copies of all Masters, Research program's dissertations and thesis within a month after the award of degrees for hosting in the digital repository under the "Shodh Ganga e-repository".
- h) HEI shall create Institutional Repository on institute website which shall include dissertation / thesis / paper / publication and other in-house publications.

7. Similarity checks for exclusion from Plagiarism

The similarity checks for plagiarism shall exclude the following:

- i. All quoted work reproduced with all necessary permission and/or attribution.
- ii. All references, bibliography, table of content, preface and acknowledgements.
- iii. All generic terms, laws, standard symbols and standards equations.

Note:

The research work carried out by the student, faculty, researcher and staff shall be based on original ideas, which shall include abstract, summary, hypothesis, observations, results, conclusions and recommendations only and shall not have any similarities. It shall exclude a common knowledge or coincidental terms, up to fourteen (14) consecutive words.

8. Levels of Plagiarism

Plagiarism would be quantified into following levels in ascending order of severity for the purpose of its definition:

- i. Level 0: Similarities upto 10% - Minor similarities, no penalty
- ii. Level 1: Similarities above 10% to 40%
- iii. Level 2: Similarities above 40% to 60%
- iv. Level 3: Similarities above 60%

9. Detection/Reporting/Handling of Plagiarism

If any member of the academic community suspects with appropriate proof that a case of plagiarism has happened in any document, he or she shall report it to the Departmental Academic Integrity Panel (DAIP). Upon receipt of such a complaint or allegation the DAIP shall investigate the matter and submit its recommendations to the Institutional Academic Integrity Panel (IAIP) of the HEI.

The authorities of HEI can also take *suomotu* notice of an act of plagiarism and initiate proceedings under these regulations. Similarly, proceedings can also be initiated by the HEI on the basis of findings of an examiner. All such cases will be investigated by the IAIP.

10. Departmental Academic Integrity Panel (DAIP)

- i. All Departments in HEI shall notify a DAIP whose composition shall be as given below:
 - a. Chairman - Head of the Department
 - b. Member - Senior academician from outside the department, to be nominated by the head of HEI.
 - c. Member - A person well versed with anti plagiarism tools, to be nominated by the Head of the Department.

The tenure of the members in respect of points 'b' and 'c' shall be two years. The quorum for the meetings shall be 2 out of 3 members (including Chairman).
- ii. The DAIP shall follow the principles of natural justice while deciding about the allegation of plagiarism against the student, faculty, researcher and staff.
- iii. The DAIP shall have the power to assess the level of plagiarism and recommend penalty(ies) accordingly.
- iv. The DAIP after investigation shall submit its report with the recommendation on penalties to be imposed to the IAIP within a period of 45 days from the date of receipt of complaint / initiation of the proceedings.

11. Institutional Academic Integrity Panel (IAIP)

- i. HEI shall notify a IAIP whose composition shall be as given below:
 - a. Chairman - Pro-VC/Dean/Senior Academician of the HEI.
 - b. Member - Senior Academician other than Chairman, to be nominated by the Head of HEI.
 - c. Member - One member nominated by the Head of HEI from outside the HEI
 - d. Member - A person well versed with anti-plagiarism tools, to be nominated by the Head of the HEI.

The Chairman of DAIP and IAIP shall not be the same. The tenure of the Committee members including Chairman shall be three years. The quorum for the meetings shall be 3 out of 4 members (including Chairman).

- ii. The IAIP shall consider the recommendations of DAIP.
- iii. The IAIP shall also investigate cases of plagiarism as per the provisions mentioned in these regulations.

- iv. The IAIP shall follow the principles of natural justice while deciding about the allegation of plagiarism against the student, faculty, researcher and staff of HEI.
- v. The IAIP shall have the power to review the recommendations of DAIP including penalties with due justification.
- vi. The IAIP shall send the report after investigation and the recommendation on penalties to be imposed to the Head of the HEI within a period of 45 days from the date of receipt of recommendation of DAIP/ complaint / initiation of the proceedings.
- vii. The IAIP shall provide a copy of the report to the person(s) against whom inquiry report is submitted.

12. Penalties

Penalties in the cases of plagiarism shall be imposed on students pursuing studies at the level of Masters and Research programs and on researcher, faculty & staff of the HEI only after academic misconduct on the part of the individual has been established without doubt, when all avenues of appeal have been exhausted and individual in question has been provided enough opportunity to defend himself or herself in a fair or transparent manner.

12.1 Penalties in case of plagiarism in submission of thesis and dissertations

Institutional Academic Integrity Panel (IAIP) shall impose penalty considering the severity of the Plagiarism.

- i. **Level 0: Similarities upto 10%** - Minor Similarities, no penalty.
- ii. **Level 1: Similarities above 10% to 40%** - Such student shall be asked to submit a revised script within a stipulated time period not exceeding 6 months.
- iii. **Level 2: Similarities above 40% to 60%** - Such student shall be debarred from submitting a revised script for a period of one year.
- iv. **Level 3: Similarities above 60%** -Such student registration for that programme shall be cancelled.

Note 1: Penalty on repeated plagiarism- Such student shall be punished for the plagiarism of one level higher than the previous level committed by him/her. In case where plagiarism of highest level is committed then the punishment for the same shall be operative.

Note 2: Penalty in case where the degree/credit has already been obtained - If plagiarism is proved on a date later than the date of award of degree or credit as the case may be then his/her degree or credit shall be put in abeyance for a period recommended by the IAIP and approved by the Head of the Institution.

12.2 Penalties in case of plagiarism in academic and research publications

- I. **Level 0: Similarities up to 10%** - Minor similarities, no penalty.
- II. **Level 1: Similarities above 10% to 40%**
 - i) Shall be asked to withdraw manuscript.
- III. **Level 2: Similarities above 40% to 60%**
 - i) Shall be asked to withdraw manuscript.
 - ii) Shall be denied a right to one annual increment.
 - iii) Shall not be allowed to be a supervisor to any new Master's, M.Phil., Ph.D. Student/scholar for a period of two years.
- IV. **Level 3: Similarities above 60%**
 - i) Shall be asked to withdraw manuscript.
 - ii) Shall be denied a right to two successive annual increments.
 - iii) Shall not be allowed to be a supervisor to any new Master's, M.Phil., Ph.D. Student/scholar for a period of three years.

Note 1: Penalty on repeated plagiarism - Shall be asked to withdraw manuscript and shall be punished for the plagiarism of one level higher than the lower level committed by him/her. In case where plagiarism of highest level is committed then the punishment for the same shall be operative. In case level 3 offence is repeated then the disciplinary action including suspension/termination as per service rules shall be taken by the HEI.

Note 2: Penalty in case where the benefit or credit has already been obtained - If plagiarism is proved on a date later than the date of benefit or credit obtained as the case may be then his/her benefit or credit shall be put in abeyance for a period recommended by IAIP and approved by the Head of the Institution.

Note 3: HEIs shall create a mechanism so as to ensure that each of the paper publication/thesis/dissertation by the student, faculty, researcher or staff of the HEI is checked for plagiarism at the time of forwarding/submission.

Note 4: If there is any complaint of plagiarism against the Head of an HEI, a suitable action, in line with these regulations, shall be taken by the Controlling Authority of the HEI.

Note 5: If there is any complaint of plagiarism against the Head of Department/Authorities at the institutional level, a suitable action, in line with these regulations, shall be recommended by the IAIP and approved by the Competent Authority.

Note 6: If there is any complaint of plagiarism against any member of DAIP or IAIP, then such member shall excuse himself / herself from the meeting(s) where his/her case is being discussed/investigated.

13. Removal of Difficulty

UGC reserves the right to remove difficulty/difficulties in the course of implementations of these Regulations in consultation with the Government of India/ Ministry of Human Resource Development.

Prof. RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./161/18]

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.31 22:44:34
+05'30'